आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 787/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेण्डर्ड चार्टेड बैंक, शाखा कार्यालय– 10, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स जी. एन. सेल्स कॉर्पोरेशन,
2. श्री सुभाष सिंगी,
3. श्रीमती सुधा सिंगी,
4. श्रीमती गीता देवी सिंगी,
5. श्रीमती सुनीता सिंगी,
6. श्री प्रवीण सिंगी,
7. श्री विमल सिंगी,

पताः- 17, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, 22 गोदाम, जयपुर
एवं प्लॉट नं. जे–36, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
एवं फ्लेट नं. टी–1, तृतीय तल, सफायर हेरिटेज, प्लॉट नं. के–23, मालवीय मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री रवि कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक: 19.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.07.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुधा सिंगी, श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती सुनीता सिंगी के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. जे–36, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, क्षेत्रफल 630 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 07,17,58,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में दिनांक 14.12.2022 को केवियट प्रस्तुत की गई, जबकि प्रार्थना पत्र पूर्व में ही दिनांक 28.11.2022 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। केवियट कर्त्ता को केवियट प्रस्तुत करते समय ही प्रकरण के लम्बित होने के बारे में अवगत करा दिया गया था। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. अप्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निस्तारित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,17,58,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 07,32,51,466.02/— रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक [illegible]6.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा—14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सुधा सिंगी, श्रीमती गीता देवी एवं श्रीमती सुनीता सिंगी के संयुक्त स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. जे—36, कृष्णा मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर, क्षेत्रफल 630 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner